संख्या- 134 /2023 / 692 /चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2023

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर स्थित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 616.14 लाख की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1649/उ0प्र0सं0नि0-1(56) /2017-18- ।।। दिनांक 28 फरवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ हेतु रू0 2210.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 616.14 लाख (रू0 छः करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 225 /2022 /3028 /चार-2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, शासनादेश संख्या- 83 /2022 / 413 /चार-2022 दिनांक 27 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या- 143/2021/1524 /चार-2021 दिनांक 31 अगस्त, 2021, शासनादेश संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-60 /2020 /2927/ चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बचत की धनराशि उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) उ०प्र० संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(11) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -106-संग्रहालय -8901- जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 616.14 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-11-प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ -24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 134 /2023 / 692 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20222023-228-Char-2023

विषय:- प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041068901 (जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	6,16,14,000 रुपये छह करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र	6,16,14,000 रुपये छह करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र	5,83,86,000 रुपये पांच करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार मात्र	2022-2023
कुल					₹ 6,16,14,000	₹ 6,16,14,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061100 (प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	6,16,14,000 रुपये छह करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र	6,16,14,000 रुपये छह करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र	11,16,14,000 रुपये ग्यारह करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र	2022-2023
कुल				₹ 6,16,14,000	₹ 6,16,14,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1424/उ0प्र0सं0नि0-1(56) /2017-18- ।।। दिनांक 18 जनवरी, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 616.14 लाख (रू0 छः करोड़ सोलह लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 225 /2022 /3028 /चार-2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, शासनादेश संख्या- 83 /2022 / 413 /चार-2022 दिनांक 27 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या- 143/2021/1524 /चार-2021 दिनांक 31 अगस्त, 2021, शासनादेश संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-60 /2020 /2927/ चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(8) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।
(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -106- संग्रहालय -8901- जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 616.14 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-11- प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ -24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संख्या:RE-budget-1-550-E-7-295-X-2022-23-दिनांक:20-03-2023

सेवा में,
निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संजय शुक्ला
उप सचिव

संख्या- 134 /2023 / 692 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।